निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 अग्रहायण 1945 (श0)

(सं0 पटना 1000) पटना, मंगलवार, 12 दिसम्बर 2023

गृह विभाग

घोषणा

5 दिसम्बर 2023

प्रपत्र सं0–1

(बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 की धारा 5 एवं बिहार विशेष न्यायालय नियमावली, 2010 के नियम 7 के अधीन)

सं० बी0/आ0अ0ई0-03/2023-13868--चूँकि यह अभिकथित किया गया है कि श्री धर्मवीर पाण्डेय, पिता-स्व0 जगदी६ा नारायण पाण्डेय, सा0-बानूछापर, थाना-मुफ़्सिल, जिला-प६िचम चम्पारण (बेतिया), वर्तमान पता-सा0-फ्लैट नं0- 102-बी, गीत एनक्लेव, श्रीकृष्ण बिहार कॉलोनी, थाना-बेउर, जिला-पटना ने बिहार राज्य में कृषि विभाग के अन्तर्गत पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) में तत्कालीन जिला कृषि पदाधिकारी (वर्तमान में अनिवार्य सेवानिवृत्त) का पद धारण करते हुए अन्य के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 की उप धारा (1) के खंड (ई) के अधीन अपराध किया और मामले की जांच आर्थिक अपराध थाना कांड सं0-21/2013, दिनांक-07.10.2013 धारा 13 (2) सह पठित धारा 13(1)(ई) संद्योधित धारा- 13(1)(बी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में की गई है;

और चूंकि अभिलेख में उपलब्ध सुसंगत सामग्री की छानबीन करने पर राज्य सरकार की राय है कि श्री धर्मवीर पाण्डेय, पिता-स्व0 जगदी६ा नारायण पाण्डेय, सा0-बानूछापर, थाना-मुफ़्सिल, जिला-प६िचम चम्पारण (बेतिया), बिहार, तत्कालीन जिला कृषि पदाधिकारी (वर्तमान में अनिवार्य सेवानिवृत्त), पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी), कृषि विभाग, बिहार सरकार, जिसने भ्रष्ट साधनों का सहारा लेकर अन्य के साथ अपने आय के ज्ञात स्रोत से अननुपातिक संपत्ति संचित किया है, पर प्रथम दृष्टया केस बनता है;

और चूंकि सरकार को यह आवश्यक और समीचीन प्रतीत होता है कि उक्त अपराधियों पर विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 (बिहार अधिनियम 5, 2010) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित विशेष न्यायालय द्वारा विचारण किया जाए;

इसलिए, अब विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा यह घोषणा करती है कि उक्त अपराध का निपटारा विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 के अधीन किया जाएगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
के0 सेंथिल कुमार,
सरकार के प्रधान सचिव।

5 दिसम्बर 2023

सं० बी0/आ0अ0ई0-03/2023-13868 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
के0 सेंथिल कुमार,
सरकार के प्रधान सचिव।

The 5th December 2023

FORM No. 1

(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act, 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules, 2010)

No. बी0/आ0अ0ई0–03/2023–13868––WHEREAS, It was alleged that **SHRI DHARAMVIR PANDEY, S/O-Late Jagdish Narayan Pandey, Vill.-Banuchappar, P.S.-Mufassil, Distt.-West Champaran (Bettiah), A/P- Flat N0.-102/B, Geet Enclave, Shree Krishna Bihar Colony, P.S.-Beur, Distt.-Patna, Bihar** while holding the post of the **District Agriculture Officer, East Champaran (Motihari), Agriculture Department, Govt. of Bihar (at present compulsory retirement)** and serving in different capacities under Government of Bihar committed an offence alongwith others accused under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter is being investigated in Economic Offences P.S. Case No. **21/2013**, dated **07.10.2013,** under section 13(2) read with 13(1)(e) and amended section 13(1)(b) of the Prevention of Corruption Act, 1988.

AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is *prima facie* case of commission of above mentioned offence by the said **SHRI DHARAMVIR PANDEY, S/O-Late Jagdish Narayan Pandey, Vill.-Banuchappar, P.S.-Mufassil, Distt.-West Champaran (Betiah),** the then **District Agriculture Officer, East Champaran (Motihari), Agriculture Department, Govt. of Bihar (at present compulsory retirement)** and others accused who have accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means;

AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offenders should be tried by the Special Court Established under sub-section (1) of Section 3 of Bihar Special Courts Act, 2009;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Bihar Special Courts Act, 2009, the State Government do hereby declare that the said offence shall be dealt with under the Special Courts Act, 2009.

By order of the Governor of Bihar,
K. Senthil Kumar,
Principal Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।
बिहार गजट (असाधारण) 1000-571+100-डी0टी0पी0 ।
Website: http://egazette.bih.nic.in